NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-08-2025

विषय सूची

» RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में AI को अपनाने के लिए सात सूत्र निर्धारित
» सैटेलाइट इंटरनेट: सामरिक शक्ति का एक नया आयाम
» उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025
» SC, ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को नोटिस जारी
» भारत और सिंगापुर: स्वास्थ्य सेवा से लेकर तकनीक तक संबंधों को प्रोत्साहन

संक्षिप्त समाचार

» दक्षिण चीन सागर
» भारत का प्रथम वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल
» BNS धारा 152
» धीरियो
» एक दशक में व्हेल मछलियों के फंसे रहने की संख्या दस गुना बढ़ी: CMFRI अध्ययन
» निर्यात संवर्धन मिशन योजनाएँ
» कांचा गाचीबोवली वन
» SC/ST छात्रवृत्ति का विस्तार
» भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) को नियंत्रित करने वाले मानदंड
» खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड
» सभासार

RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में AI को अपनाने के लिए सात सूत्र निर्धारित

समाचारों में

- RBI की FREE-AI रूपरेखा विकसित करने वाली समिति ने अनुशंसा की है कि विनियमित संस्थाएं डेटा और कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाने के लिए साझा अवसंरचना स्थापित करें तथा वित्तीय क्षेत्र के लिए एक AI इनोवेशन सैंडबॉक्स बनाएं।

वित्तीय क्षेत्र में AI

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वैश्विक और भारतीय वित्तीय सेवा परिदृश्य को परिवर्तित कर रही है।
- AI का तीव्रता से वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अपनाया जा रहा है।
- इस अपनाने को कई आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, जैसे ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना, राजस्व में वृद्धि, परिचालन लागत में कमी, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना, और नए व नवाचारी उत्पादों का निर्माण सक्षम करना।

लाभ

- यह चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और व्यक्तिगत बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाता है।
  - AI वित्तीय संस्थानों को ग्राहक व्यवहार को बेहतर समझने, दक्षता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर अधिक व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है।
- यह रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (RPA) और पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार करता है।
- यह AI-संचालित धोखाधड़ी पहचान, क्रेडिट स्कोरिंग और अनुपालन उपकरणों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करता है।
- यह कम लागत वाली सेवाओं को स्वचालित करके और वंचित जनसंख्या तक पहुंच बढ़ाकर वित्तीय समावेशन को सक्षम करता है।

AI अपनाने में चुनौतियाँ

- RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेतावनी दी कि कुछ तकनीकी प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता प्रणालीगत जोखिमों को बढ़ा सकती है।
- **डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा:** AI प्रणालियाँ उल्लंघनों और अपारदर्शी निर्णय लेने के प्रति संवेदनशील होती हैं, जिससे नियामक अनुपालन जटिल हो जाता है।
- **अवसंरचना की कमी:** कई वित्तीय संस्थानों के पास AI तैनाती के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति और कुशल कार्यबल की कमी है।
- **नियामक अनिश्चितता:** AI की तेजी से विकसित होती प्रकृति पारंपरिक नियामक ढांचों को चुनौती देती है।

RBI और सरकारी पहलें

- RBI ने दिसंबर 2024 में FREE-AI (AI का उत्तरदायी और नैतिक सक्षमीकरण) रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया।
  - प्रमुख कदमों में AI अपनाने के लिए सात सूत्र शामिल हैं: विश्वास, लोगों को प्राथमिकता, नवाचार, निष्पक्षता, जवाबदेही, समझदारी और सुरक्षा।
  - यह नवाचार और जोखिम को छह स्तंभों के माध्यम से संतुलित करता है: अवसंरचना, नीति, क्षमता (नवाचार) और शासन, संरक्षण, आश्वासन (जोखिम)।
  - रिपोर्ट में 26 अनुशंसाएँ शामिल हैं, जैसे बोर्ड-अनुमोदित AI नीतियाँ, उपभोक्ता संरक्षण का विस्तार, ऑडिट्स और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना ताकि जिम्मेदार AI अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- भारतAI मिशन, जिसे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, भारत में एक समग्र और समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है।
- यह सात रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित है: कंप्यूट क्षमता, नवाचार केंद्र, डेटा सेट प्लेटफ़ॉर्म, एप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल, फ्यूचरस्किल्स, स्टार्टअप वित्तपोषण, और सुरक्षित व विश्वसनीय AI।

आगे की राह

- RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनरेटिव AI भारत में बैंकिंग संचालन को 46 प्रतिशत तक बेहतर बना सकता है।

- इसलिए, वित्तीय क्षेत्र में उत्तरदायी और समावेशी AI अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड-अनुमोदित AI नीतियों को लागू करना तथा ऑडिट व उपभोक्ता संरक्षण ढांचों को AI-संबंधित पहलुओं तक विस्तारित करना आवश्यक है।
- साझा अवसंरचना को डेटा और कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, साथ ही भारत की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी AI मॉडल के विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
- AI नैतिकता, डेटा विज्ञान और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण आवश्यक है, साथ ही सरकार, अकादमिक क्षेत्र और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, नियामक ढांचों को जोखिम के आधार पर गतिशील रूप से विकसित होना चाहिए, जिससे AI निर्णय लेने में पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता सुनिश्चित हो सके।

Source :TH

सैटेलाइट इंटरनेट: सामरिक शक्ति का एक नया आयाम

समाचारों में

- विश्व भर के कई देश सैटेलाइट इंटरनेट को रणनीतिक शक्ति के एक नए आयाम के रूप में देख रहे हैं।

सैटेलाइट इंटरनेट

- यह इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है।
- यह उपयोगकर्ता के स्थान पर स्थापित सैटेलाइट डिश और कक्षा में स्थित उपग्रह के बीच डेटा प्रसारित करके कार्य करता है, जो फिर पृथ्वी पर स्थित नेटवर्क संचालन केंद्र से संवाद करता है।

सैटेलाइट इंटरनेट कैसे कार्य करता है?

- एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क दो भागों से बना होता है: अंतरिक्ष खंड और ग्राउंड खंड।
- अंतरिक्ष खंड में कक्षा में स्थित उपग्रह होते हैं, जबकि ग्राउंड खंड में पृथ्वी पर स्थित सभी उपकरण शामिल होते हैं जो उपग्रहों से संवाद करते हैं।
- उपग्रह सबसे पूंजी-गहन घटक होते हैं।
- वे डेटा ट्रांसमिशन के लिए संचार पेलोड ले जाते हैं और इनकी सेवा अवधि पाँच से बीस वर्षों तक होती है।
- उपग्रहों को तीन मुख्य कक्षाओं में तैनात किया जाता है: भूस्थैतिक पृथ्वी कक्षा (GEO), मध्यम पृथ्वी कक्षा (MEO), और निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO)।

क्या आप जानते हैं?

- GEO उपग्रह (35,786 किमी ऊँचाई) पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहते हैं और इसकी सतह का लगभग एक-तिहाई भाग कवर करते हैं।
  - ये बड़े होते हैं और केवल सिग्नल रिले ("बेंट-पाइप") के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उच्च विलंबता के कारण रीयल-टाइम अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। उदाहरण: वियासैट(Viasat) का ग्लोबल एक्सप्रेस(Global Xpress)।
- MEO उपग्रह (2,000–35,786 किमी) GEO की तुलना में कम विलंबता प्रदान करते हैं और वैश्विक कवरेज के लिए तारामंडल की आवश्यकता होती है।
  - कुछ अनुप्रयोगों के लिए बेहतर होते हुए भी, ये अभी भी रीयल-टाइम उपयोग के लिए विलंबता की समस्याओं का सामना करते हैं और लॉन्च करना महंगा होता है। उदाहरण: O3b तारामंडल।
- LEO उपग्रह (2,000 किमी से नीचे) बहुत कम विलंबता वाले होते हैं और छोटे व सस्ते होते हैं। हालांकि, प्रत्येक उपग्रह सीमित क्षेत्र को कवर करता है, जिससे वैश्विक कवरेज के लिए विशाल तारामंडल की आवश्यकता होती है।
  - स्टारलिंक इस मॉडल का नेतृत्व करता है, जिसके पास 7,000 से अधिक उपग्रह हैं और 42,000 तक विस्तार की योजना है।
  - LEO मेगा-तारामंडल बड़ी संख्या में छोटे, बुद्धिमान उपग्रहों का उपयोग करते हैं जिनमें ऑनबोर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग होती है, जिससे दक्षता, सिग्नल गुणवत्ता में सुधार होता है और ग्राउंड टर्मिनलों की लागत घटती है।

सैटेलाइट इंटरनेट की आवश्यकता

- शहरी क्षेत्रों में सामान्य ग्राउंड-आधारित इंटरनेट नेटवर्क भौतिक अवसंरचना पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये विरल जनसंख्या वाले या आपदा-प्रवण क्षेत्रों में संघर्ष करते हैं और हमेशा मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान नहीं कर सकते।
- सैटेलाइट इंटरनेट इन समस्याओं का समाधान करता है, क्योंकि यह भू-भाग या अवसंरचना से स्वतंत्र वैश्विक, लचीला कवरेज प्रदान करता है, जिससे चलते प्लेटफार्मों एवं दूरस्थ स्थलों के लिए त्वरित तैनाती और कनेक्टिविटी संभव होती है।
- यह एक परिवर्तनकारी तकनीक है जिसका डिजिटल अर्थव्यवस्था, नागरिक अवसंरचना और सैन्य रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अनुप्रयोग

- स्टारलिंक जैसे मेगा-तारामंडलों द्वारा सक्षम सैटेलाइट इंटरनेट के अनुप्रयोग सैन्य, आपदा प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
- यह हरिकेन हार्वे एवं रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी आपदाओं के दौरान लचीला संचार प्रदान करता है, जिससे बचाव और रक्षा कार्यों में सहायता मिलती है।
  - दूरस्थ क्षेत्रों में सैन्य बलों द्वारा इसका उपयोग इसकी रणनीतिक महत्ता को दर्शाता है।
- यह डिजिटल विभाजन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में।
  - यह उन क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड एक्सेस सक्षम करता है जहाँ फाइबर या मोबाइल टावर नहीं हैं।
- यह दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को संभव बनाता है।
- यह सीमा और समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित संचार सुनिश्चित कर सकता है।
- यह मौसम और मिट्टी डेटा एकीकरण के माध्यम से सटीक कृषि का समर्थन कर सकता है।

चुनौतियाँ

- आधुनिक LEO सैटेलाइट इंटरनेट कॉम्पैक्ट, उपयोग में आसान टर्मिनल प्रदान करता है, फिर भी यह स्थलीय ब्रॉडबैंड की तुलना में महंगा रहता है।
  - उच्च सेटअप लागत और मासिक शुल्क ग्रामीण उपयोगकर्ताओं को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- विदेशी स्वामित्व और डेटा गोपनीयता को लेकर चिंताएँ (जैसे Starlink की रीयल-टाइम ट्रैकिंग आवश्यकताएँ)।
- ग्राउंड स्टेशन की तैनाती और विलंबता प्रबंधन अभी भी तकनीकी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष और आगे की राह

- सैटेलाइट इंटरनेट केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है—यह डिजिटल भविष्य के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है।
- भारत जैसे देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस तकनीक को राष्ट्रीय लचीलापन योजनाओं में एकीकृत करने के लिए व्यापक रणनीतियाँ विकसित करें।
- भारत को इसे डिजिटल विभाजन को समाप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उपयोग करना चाहिए।
- अंततः, इसके अंतरराष्ट्रीय शासन को आकार देने में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है क्योंकि ये मेगा-तारामंडल वैश्विक कनेक्टिविटी और रणनीतिक लाभ के अगले युग को परिभाषित करेंगे।

Source :TH

उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ

- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई।

केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि धर्म का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशेष धर्म में परिवर्तित करने के अधिकार में शामिल नहीं है, विशेष रूप से धोखाधड़ी, छल, दबाव, प्रलोभन और अन्य तरीकों से।
  - गृह मंत्रालय ने 1977 के स्टैनिस्लॉस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 25 की व्याख्या को दोहराया।

- "धोखाधड़ी या प्रेरित धर्मांतरण किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है, इसलिए राज्य इसे नियंत्रित/प्रतिबंधित करने के अपने अधिकार क्षेत्र में है।"

- **ऐसे अन्य राज्य जिनके पास समान कानून हैं:** राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड—इन सभी के पास अपने-अपने धर्मांतरण विरोधी कानून हैं।

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

- **डिजिटल प्रचार पर प्रतिबंध:** सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देना या उकसाना दंडनीय अपराध है।
- **प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार:** उपहार, नकद/सामान लाभ, रोजगार, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक विश्वास को ठेस पहुँचाना या किसी अन्य धर्म का महिमामंडन करना—इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- **कठोर दंड:**
  - **सामान्य उल्लंघन:** 3–10 वर्ष की कैद
  - **संवेदनशील वर्ग के मामले:** 5–14 वर्ष की कैद
  - **गंभीर अपराध:** 20 वर्ष से आजीवन कारावास + भारी जुर्माना
- **विवाह संबंधी प्रावधान:** झूठी पहचान या धर्म छिपाकर विवाह करने पर सजा का प्रावधान।

राज्य सरकार के अनुसार कानून का उद्देश्य

- नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना।
- धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव द्वारा धर्मांतरण को रोकना।
- सामाजिक सौहार्द बनाए रखना।
- **पीड़ित सहायता:** चिकित्सा, यात्रा, पुनर्वास और भरण-पोषण खर्च।

कानून के विरुद्ध तर्क

- **संवैधानिक चिंताएँ:** यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों जैसे धर्म की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी व्याख्या और दुरुपयोग की आशंका है।
- **अंतरधार्मिक संबंधों पर प्रभाव:** यह कानून अंतरधार्मिक जोड़ों, विशेष रूप से हिंदू-मुस्लिम संबंधों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक पक्ष पर जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण का आरोप लगाया जा सकता है।
- **सामाजिक ध्रुवीकरण:** ऐसे कानूनों के लागू होने से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सकता है, जिससे सांप्रदायिक असहमति बढ़ सकती है।

कानून के पक्ष में तर्क

- **जबरन धर्मांतरण की रोकथाम:** विधेयक का मुख्य उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है, जो प्रायः कमजोर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों के सदस्यों का शोषण करते हैं।
  - यह उनके अधिकारों एवं स्वायत्तता की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- **सामाजिक सौहार्द की रक्षा:** धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करना विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में सहायता करता है।
- **धर्मांतरण रैकेट के खिलाफ निवारक:** यह विधेयक धर्मांतरण रैकेट और धोखाधड़ी वाले धार्मिक संगठनों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करता है जो व्यक्तियों का वित्तीय या अन्य लाभ के लिए शोषण करते हैं।
- **जिम्मेदारी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का संवर्धन:** विधेयक को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, जो दुरुपयोग को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि धर्मांतरण नैतिक एवं पारदर्शी तरीके से हो।

आगे की राह

- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है।
- हालांकि, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक स्वतंत्रताओं दोनों को बनाए रखने के लिए इसे सटीकता, सुरक्षा उपायों और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए।
- इस संतुलन को साधना यह सुनिश्चित करेगा कि कानून अपने उद्देश्य की पूर्ति करे बिना भारत की बहुलवादी भावना को कमजोर किए।

Source: TH

SC, ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को नोटिस जारी

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की जांच करने का निर्णय लिया है जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच आरक्षण लाभों के लिए "एक प्रणाली" लागू करने की मांग की गई है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए लागू क्रीमी लेयर अवधारणा के समान हो।

भारत में आरक्षण

- वर्तमान निर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
  - अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के अलावा प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में निर्धारित प्रतिशत क्रमशः SC के लिए 16.66%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 25.84% है।
- संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 केंद्र और राज्य सरकारों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

50% नियम क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह माना है कि रोजगारों या शिक्षा में आरक्षण कुल सीटों/पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **मंडल आयोग मामला:** 1992 में इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - जैसे कि उन समुदायों को आरक्षण देना जो देश के दूर-दराज़ क्षेत्रों से आते हैं और जिन्हें समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा गया है। यह एक भौगोलिक नहीं बल्कि सामाजिक परीक्षण है।
- **EWS निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जो EWS को अतिरिक्त 10% आरक्षण प्रदान करता है।
  - इसका अर्थ है कि फिलहाल 50% सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू होती है, और राज्यों को EWS सहित कुल 60% सीटों/पदों को आरक्षित करने की अनुमति है।

क्रीमी लेयर सिद्धांत

- यह एक अवधारणा है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण केवल उन लोगों को मिले जो किसी समूह के अंदर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं।
  - इसका उद्देश्य आरक्षित श्रेणी के अधिक समृद्ध या लाभप्राप्त सदस्यों को इन लाभों से वंचित करना है।
- **उत्पत्ति:** इस अवधारणा को प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले (1992), जिसे मंडल आयोग मामला भी कहा जाता है, में प्रस्तुत किया।
  - न्यायालय के निर्णय ने इस बात पर बल दिया कि OBC श्रेणी के अंदर अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोग आरक्षण का लाभ नहीं उठाएं।
- **मानदंड:** "क्रीमी लेयर" को आय और शिक्षा स्तर जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

- **प्रभाव:** क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करके सरकार अपने सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना चाहती है, ताकि सबसे अधिक आवश्यकता वाले लोगों को लक्षित सहायता मिल सके।

अनुसूचित जातियों (SC) के उप-श्रेणीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 6:1 बहुमत से अनुसूचित जातियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा, और E.V. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के पांच-न्यायाधीशों के निर्णय को पलट दिया।
  - कोर्ट ने कहा कि SC/ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान के लिए OBC से अलग मानदंड होने चाहिए।
- 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि SC/ST सूची एक 'समान समूह' है और इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।
- **2024 के निर्णय में SC का तर्क:**
  - अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अर्थ है समान लोगों को समान रूप से व्यवहार करना, लेकिन राज्य को अलग-अलग स्थिति वाले समूहों को वर्गीकृत करने की अनुमति है।
    - यदि आरक्षित श्रेणी (जैसे SC) के अंदर समानता नहीं है, तो राज्य इसके अंदर छोटे समूह बना सकता है ताकि लाभों का न्यायसंगत वितरण हो सके।
  - **समान नहीं:** राष्ट्रपति की सूची एक कानूनी कल्पना है, जिसका उपयोग वंचित समूहों की पहचान के लिए किया जाता है, न कि एक समान वर्ग के रूप में।
    - SC सूची में शामिल होना लक्षित लाभों के लिए आगे वर्गीकरण को रोकता नहीं है।
- उप-वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर होना चाहिए:
  - मात्रात्मक डेटा
  - अधिक वंचित होने का प्रमाण
  - सार्वजनिक सेवाओं में अपर्याप्त और अप्रभावी प्रतिनिधित्व
  - राज्यों को मनमाना वर्गीकरण से बचना चाहिए — उन्हें तर्क और अनुभवजन्य समर्थन दिखाना होगा।
  - प्रभावी प्रतिनिधित्व, केवल संख्यात्मक उपस्थिति नहीं, महत्वपूर्ण है।

समर्थन में तर्क

- **SCs के अंदर असमान पिछड़ापन:** SC समुदायों के कुछ जातियाँ अन्य की तुलना में अधिक सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं और लगातार कम प्रतिनिधित्व में रही हैं।
  - असमानों को समान रूप से व्यवहार करना असमानता को बनाए रखता है, जिससे आरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाता है।
- **समान नहीं:** अनुच्छेद 341 के अंतर्गत SC सूची एक कानूनी कल्पना है जो सकारात्मक कार्रवाई के लिए बनाई गई है।
  - मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि सूची में शामिल होना यह नहीं दर्शाता कि जातियाँ समान हैं, और कानून को आंतरिक भिन्नताओं को पहचानना चाहिए।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं।
- **प्रभावी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा:** उद्देश्य मात्र संख्या नहीं बल्कि प्रभावी प्रतिनिधित्व है। उप-वर्गीकरण सार्थक समावेशन में सहायता कर सकता है।
- **आंकड़ों द्वारा समर्थित:** सरकार को सकारात्मक कार्रवाई को वहाँ लक्षित करने की अनुमति देता है जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

विरोध में तर्क

- **अनुच्छेद 341:** अनुच्छेद 341 केवल राष्ट्रपति को SC सूची को संशोधित करने की अनुमति देता है।
  - राज्य-प्रेरित उप-वर्गीकरण को सूची में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाता है और राज्य की शक्तियों से परे समझा जाता है।
- **समुदाय के अंदर विखंडन:** उप-कोटा SCs के बीच जाति-आधारित विभाजन को बढ़ा सकते हैं।
  - यह SC समुदायों की सामूहिक राजनीतिक शक्ति और सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है।

- **मानदंड की परिभाषा:** SCs के अंदर वंचितता के उद्देश्यपूर्ण, अनुभवजन्य उपायों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।
  - गलत वर्गीकरण और कानूनी चुनौतियों का जोखिम है।
- **'क्रीमी लेयर' परिचर्चा की शुरुआत:** SCs के लिए 'क्रीमी लेयर' अवधारणा को लागू करना पूरे SC वर्ग को दी गई सुरक्षा को कमजोर कर सकता है।
  - SCs के लिए आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं बल्कि ऐतिहासिक भेदभाव और कलंक के कारण है, जो आय समूहों के पार बना रहता है।

आगे की राह

- **संवैधानिक सीमाओं का सम्मान:** सुनिश्चित करें कि उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4) के अंदर रहे और अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सूची को न बदले।
- **क्रीमी लेयर की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें:** यदि SC/ST पर लागू किया जाए, तो OBC से अलग मानदंड तय करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह इन समूहों के ऐतिहासिक सुरक्षा उपायों को कमजोर न करे।
- **कोटा से परे सामाजिक उत्थान उपायों को सुदृढ़ करें:** आरक्षण के साथ-साथ लक्षित शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता समर्थन और भेदभाव विरोधी प्रवर्तन को लागू करें ताकि दीर्घकालिक निर्भरता को कम किया जा सके।
- **सामाजिक एकता को बढ़ावा दें:** नीति परिवर्तनों के साथ जागरूकता अभियान चलाएं ताकि SC समुदायों के अंदर विभाजन को रोका जा सके और सामूहिक उत्थान की भावना को बनाए रखा जा सके।

Source: TH

भारत और सिंगापुर: स्वास्थ्य सेवा से लेकर तकनीक तक संबंधों को प्रोत्साहन

संदर्भ

- हाल ही में भारत और सिंगापुर ने तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) में स्वास्थ्य सेवा, डिजिटलीकरण, उन्नत प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को फिर से पुष्टि की है।

भारत और सिंगापुर संबंध: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत और सिंगापुर के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध एक सहस्राब्दी से अधिक प्राचीन हैं, जिसमें समुद्री व्यापार मार्गों ने दोनों क्षेत्रों को जोड़ा।
- ब्रिटिश शासन के दौरान 1867 तक सिंगापुर का प्रशासन कोलकाता से किया जाता था, जिससे साझा संस्थानों, कानूनी प्रणालियों और अंग्रेजी भाषा के व्यापक उपयोग की विरासत मिली।
- भारत 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

वर्तमान सहयोग

- **रणनीतिक साझेदारी:** भारत और सिंगापुर ने 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा के दौरान अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया।
  - इसे 2023 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया।
- **आर्थिक और व्यापार:** वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, 2023–24 में भारत का सिंगापुर को निर्यात $14.4 बिलियन था, जबकि सिंगापुर से आयात $21.2 बिलियन रहा।
  - सिंगापुर भारत का ASEAN में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख समझौतों में शामिल हैं:
    - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) – 2005 में हस्ताक्षरित, 2018 में समीक्षा की गई।
    - दोहरा कराधान बचाव समझौता (DTAA);
    - फिनटेक सहयोग समझौता।
- **डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी:** 2023 में भारत के UPI को सिंगापुर के PayNow से जोड़ा गया, जिससे सीमा पार डिजिटल भुगतान सहज हो गया।

- सिंगापुर की कंपनियाँ भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और स्मार्ट शहरों में निवेश कर रही हैं।

- **रक्षा और सुरक्षा:** संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। रक्षा सहयोग समझौता 2003 में हस्ताक्षरित हुआ, जिसे 2015 में उन्नत किया गया।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
  - दोनों देश G20, ईस्ट एशिया समिट और IORA जैसे मंचों के सक्रिय सदस्य हैं।
- **मंत्री स्तरीय गोलमेज तंत्र (ISMR):** यह एक उच्च स्तरीय संवाद मंच है, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। यह छह रणनीतिक स्तंभों को कवर करता है: उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास, और सततता।
  - इसकी प्रथम बैठक 2022 में नई दिल्ली में हुई, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में, और तीसरी बैठक 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **निवेश में बाधाएँ:** सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा FDI स्रोत होने के बावजूद, विगत वर्ष निवेश स्तर में 30% से अधिक की गिरावट आई।
  - सिंगापुर के व्यवसायों ने भारत में निवेश के लिए नियामकीय जटिलता, नौकरशाही विलंब और नीतिगत अनिश्चितता को प्रमुख बाधाओं के रूप में बताया।
- **व्यापार के अवसरों की चूक:** भारत का क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर होना सिंगापुर द्वारा ASEAN एकीकरण के लिए 'एक चूका हुआ अवसर' माना गया।
  - हालाँकि भारत ने चीन के प्रभाव को लेकर रणनीतिक चिंताओं का उदाहरण दिया, इस कदम ने क्षेत्रीय व्यापार सरेखण में एक अंतर उत्पन्न किया।
- **बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी:** भारत और सिंगापुर के बीच प्रस्तावित अंडरसी सौर ऊर्जा और डेटा केबल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ तकनीकी एवं नियामकीय बाधाओं का सामना कर रही हैं।
  - विश्वसनीय डेटा गलियारों एवं ऊर्जा पाइपलाइनों के निर्माण के लिए साइबर सुरक्षा, पर्यावरण मानकों और सीमा पार प्रोटोकॉल पर सरेखण आवश्यक है।
- **प्रतिभा और कौशल अंतर:** सिंगापुर ने भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश में रुचि दिखाई है, लेकिन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल मिलाना एक चुनौती बना हुआ है।
  - संयुक्त कौशल विकास पहलें चल रही हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना अभी बाकी है।

आगे की राह

- जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर उभर रहा है और सिंगापुर नवाचार और वित्त में अग्रणी बना हुआ है, उनकी साझेदारी और अधिक विस्तार के लिए तैयार है।
- भारत–सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) एक उच्च स्तरीय तंत्र प्रदान करता है जो चिंताओं को संबोधित करने और सहयोग के नए क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायक है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

दक्षिण चीन सागर

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल के पास दो युद्धपोत तैनात किए, यह कदम उस टकराव के पश्चात उठाया गया जिसमें चीनी नौसैनिक जहाजों ने फिलीपीनी तटरक्षक जहाज को रोकने का प्रयास किया।

दक्षिण चीन सागर के बारे में

- यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री गलियारा है, जिसकी सीमाएँ उत्तर में चीन और ताइवान, पश्चिम में वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर, दक्षिण में

इंडोनेशिया और ब्रुनेई, तथा पूर्व में फिलीपींस से लगती हैं।

- यह क्षेत्र भू-राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय विवादों और रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है, जिसमें स्प्रैटली द्वीप, पारासेल द्वीप और स्कारबोरो शोल शामिल हैं।

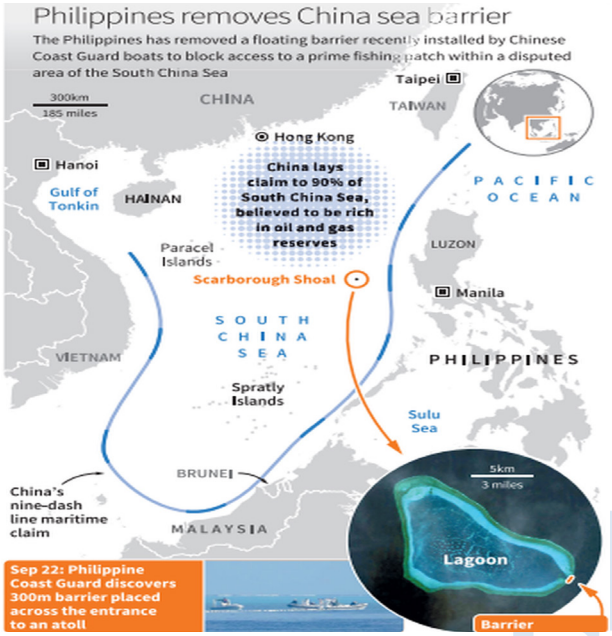

- चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपने 'नौ-डैश लाइन' के माध्यम से नियंत्रण का दावा करता है।
  - चीन ने कृत्रिम द्वीप और सैन्य चौकियाँ बनाई हैं, जो 2016 के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के उस निर्णय की अवहेलना करते हैं जिसने चीन के विस्तृत दावों को अमान्य घोषित किया था।
- फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के इन क्षेत्रों पर परस्पर विरोधी दावे हैं।
  - स्कारबोरो शोल पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान दावा करते हैं।

भारत की स्थिति और भागीदारी

- भारत दक्षिण चीन सागर को वैश्विक साझा संसाधन मानता है और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।
- भारत का विकसित होता दृष्टिकोण निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करता है:
  - फिलीपींस के पक्ष में 2016 के न्यायाधिकरण निर्णय का समर्थन।
  - ONGC विदेश के माध्यम से वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में तेल अन्वेषण परियोजनाओं में भागीदारी।
  - 'लुक ईस्ट' नीति से 'एक्ट ईस्ट' नीति की ओर संक्रमण, जिसमें ASEAN और इंडो-पैसिफिक साझेदारों के साथ रणनीतिक जुड़ाव पर बल दिया गया है।

Source: TH

भारत का प्रथम वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल

संदर्भ

- हाल ही में भारत ने अपना प्रथम पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन (Earth Observation - EO) उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है।
- यह प्रथम बार है जब एक निजी भारतीय संघ, पिक्सेलस्पेस(PixxelSpace) के नेतृत्व में, PPP मॉडल के अंतर्गत डिजाइन, निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करेगा।

उपग्रह की क्षमताएँ और अनुप्रयोग

- यह वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन (EO) उपग्रह तारामंडल अत्याधुनिक सेंसरों से लैस होगा जैसे कि पैनक्रोमैटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)।
  - इसका उद्देश्य विश्लेषण-तैयार डेटा (Analysis Ready Data - ARD) और मूल्य-वर्धित सेवाएँ (Value-Added Services - VAS) प्रदान करना है।
- **मुख्य अनुप्रयोग:**
  - जलवायु परिवर्तन की निगरानी
  - आपदा प्रबंधन
  - कृषि और बुनियादी ढांचे की योजना
  - समुद्री निगरानी
  - शहरी विकास
  - राष्ट्रीय सुरक्षा

- **रणनीतिक महत्व:**
  - विदेशी उपग्रह डेटा पर भारत की निर्भरता को कम करना
  - राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना
  - भारत को भू-स्थानिक खुफिया में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना

पृथ्वी अवलोकन (EO) उपग्रहों का कार्य

- EO उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित या उत्सर्जित विद्युतचुंबकीय विकिरण को पकड़ते हैं।
  - ये उपग्रह विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड्स—दृश्य, इन्फ्रारेड, माइक्रोवेव आदि—में डेटा का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए विशेष सेंसरों का उपयोग करते हैं।
- ये उपग्रह पृथ्वी की निम्न कक्षा (Low Earth Orbit - LEO) या सूर्य-समकालिक ध्रुवीय कक्षा (Sun-Synchronous Polar Orbit - SSPO) में परिक्रमा करते हैं, जिससे वे नियमित अंतराल पर एक ही स्थान का पुनः अवलोकन कर सकते हैं और उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी प्राप्त कर सकते हैं।
- **मुख्य घटक और पेलोड्स:**
  - **इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड (EOIR):** मध्य-तरंग एवं दीर्घ-तरंग इन्फ्रारेड बैंड्स में इमेज कैप्चर करने के लिए, जो दिन/रात निगरानी, अग्नि पहचान और पर्यावरण निगरानी में सहायक है।
  - **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):** बादलों और अंधकार को भेदने में सक्षम, जिससे सभी मौसम में इमेजिंग संभव होती है।
  - **हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर:** सैकड़ों स्पेक्ट्रल बैंड्स का पता लगाने में सक्षम, जो वनस्पति, खनिज और प्रदूषण के विस्तृत विश्लेषण में सहायक है।
  - **GNSS-रिफ्लेक्टोमेट्री (GNSS-R):** परावर्तित GPS संकेतों का उपयोग करके महासागर की सतह की वायु, मृदा की आर्द्रता और बाढ़ क्षेत्रों को मापता है।
  - **SiC UV डोसीमीटर:** UV विकिरण की निगरानी करता है, विशेष रूप से मानवयुक्त मिशनों जैसे गगनयान के लिए।
- EO उपग्रह कच्चा डेटा ग्राउंड स्टेशनों को प्रसारित करते हैं, जहाँ इसे विश्लेषण-तैयार डेटा (ARD) और मूल्य-वर्धित सेवाओं (VAS) में संसाधित किया जाता है, और फिर प्रसंस्कृत डेटा वितरित किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)

- यह अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त, एकल-खिड़की एजेंसी है।
- यह गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सक्षम करने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- यह ISRO और निजी खिलाड़ियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है, जिससे एक जीवंत वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो सके।

Source: TH

BNS धारा 152

समाचारों में

- सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।
  - याचिका में कहा गया है कि यह प्रावधान "औपनिवेशिक काल के देशद्रोह कानून को पुनः प्रस्तुत करता है।"

भारतीय न्याय संहिता की धारा 152

- यह किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है जो जानबूझकर या उद्देश्यपूर्वक भाषण, लेखन, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या वित्तीय सहायता के द्वारा पृथक्करण, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है।
  - इसमें आजीवन कारावास या सात वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के संभावित दुरुपयोग से यह कानून असंवैधानिक हो सकता है।
  - यह टिप्पणी उस सुनवाई के दौरान आई जिसमें स्वतंत्र पत्रकारिता फाउंडेशन और द वायर के संपादक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया गया।
  - उल्लेखनीय है कि असम में एक समाचार लेख को लेकर उनके विरुद्ध धारा 152 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है।
  - न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व को दोहराया, साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

Source :TH

धीरियो

समाचारों में

- हाल ही में गोवा के विभिन्न दलों के विधायकों ने पारंपरिक सांडों की लड़ाई को वैध करने की मांग की, जिसे स्थानीय रूप से धीरियो या धिरी कहा जाता है।
  - उनका तर्क है कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

धीरियो

- इसे धिरी भी कहा जाता है और यह गोवा में पारंपरिक सांडों की लड़ाई की घटनाओं को दर्शाता है, जहाँ दो सांडों को आमने-सामने लड़ाया जाता है।
  - सांड तब तक लड़ते हैं जब तक कि एक पीछे हट जाए या घायल हो जाए।
- यह परंपरा फसल कटाई के पश्चात के उत्सवों और चर्च के पर्वों से ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है।
  - सांडों को नाम दिए जाते थे (जैसे टायसन, रैम्बो) और उनके प्रशंसक होते थे।

कानूनी स्थिति

- 1996 में बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा पीठ) ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत इसे प्रतिबंधित कर दिया था, पशु कल्याण को लेकर चिंताओं के कारण।
- 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पशु दौड़ और लड़ाइयों पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
  - प्रतिबंध के बावजूद, विशेष रूप से दक्षिण गोवा के तटीय गांवों में गुप्त रूप से लड़ाइयाँ जारी रहती हैं।

Source :IE

एक दशक में व्हेल मछलियों के फंसे रहने की संख्या दस गुना बढ़ी: CMFRI अध्ययन

समाचारों में

- भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट (केरल, कर्नाटक, गोवा) पर व्हेल के फंसे होने की घटनाओं में पिछले दशक में दस गुना वृद्धि हुई है।

व्हेल

- व्हेल समुद्री स्तनधारी हैं, जिन्हें सेटेशिया वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें बेलीन (Mysticeti) और दांत वाली (Odontoceti) प्रजातियाँ शामिल हैं।
- ये वायु में सांस लेते हैं और गर्म रक्त वाले स्तनधारी होते हैं।
- नीली व्हेल पृथ्वी पर अब तक जीवित रहे सबसे बड़े जीव हैं।

पारिस्थितिकीय भूमिका

- व्हेल महासागरों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: प्रत्येक बड़ी व्हेल टन में CO_2 को अवशोषित करती है, जिससे यह एक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है।
- उनके पोषक तत्वों से भरपूर मल उत्सर्जन प्लवक की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, जो CO_2 को पकड़ते हैं और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
  - 13 बड़ी व्हेल प्रजातियों में से छह को संकटग्रस्त या संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

खतरे

- व्हेल के फंसे होने की घटनाएँ 2003–2013 के दौरान प्रति वर्ष 0.3% से बढ़कर 2014–2023 के दौरान 3% प्रति वर्ष हो गईं, केवल 2023 में ही नौ मामले सामने आए, जिनमें अधिकांश अगस्त से नवंबर के बीच हुए।

- इसके कारणों में जलवायु परिवर्तन, जहाजों की अधिक आवाजाही, मछली पकड़ना, ध्वनि प्रदूषण, जहाजों की टक्कर, आवास का क्षरण और उथले तटीय क्षेत्र शामिल हैं।
- ब्राइड की व्हेल सबसे अधिक फंसी हुई प्रजाति हैं, जबकि नीली व्हेल कभी-कभी पाई जाती हैं।
- भारतीय जलक्षेत्रों में ब्राइड की व्हेल की दो आनुवंशिक रूप से भिन्न रूपें उपस्थित हैं।

- बढ़ते समुद्री तापमान और तेज तटीय धाराएँ फंसे होने की घटनाओं में योगदान देती हैं।

सुझाव

- इन संकटग्रस्त समुद्री स्तनधारियों की बेहतर सुरक्षा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट संरक्षण रणनीतियों के विकास की मांग की जा रही है, जिसमें रीयल-टाइम अलर्ट सिस्टम, समुद्री संरक्षण नेटवर्क, मछुआरों का प्रशिक्षण और नागरिक विज्ञान प्रयासों को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

Source :IE

निर्यात संवर्धन मिशन योजनाएँ

संदर्भ

- अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लगाए गए उच्च शुल्कों के जवाब में, सरकार विशिष्ट क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी पूर्व निर्यात संवर्धन मिशन योजनाओं में संशोधन कर रही है।

परिचय

- वित्त मंत्री ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में, चालू वित्त वर्ष के लिए ₹2,250 करोड़ के आवंटन के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की।
  - यह निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, सीमा-पार फैक्टरिंग सहायता और विदेशी बाजारों में गैर-शुल्क उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करेगा।
- **मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित।
- **संशोधित मिशन योजनाएँ:** इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम उधारकर्ताओं के लिए ऋण की लागत को कम करना, मंजूरी में तेजी लाना तथा उन्हें किसी प्रकार के निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल होगा।
  - अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं परिधान और वस्त्र, झींगा निर्यातक, जैविक रसायन, और मशीनरी व यांत्रिक उपकरण।
- संशोधित योजना कई मंत्रालयों का एक संयुक्त प्रयास होगी और इसमें उद्योग के हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श शामिल होगा।

Source: TH

कांचा गाचीबोवली वन

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तेलंगाना सरकार को "विनष्ट" हो चुके कंचा गाचीबौली वन को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
  - सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कंचा गाचीबौली वन क्षेत्र में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए 100 एकड़ से अधिक भूमि साफ कर दी थी।

कंचा गाचीबौली वन (KGF)

- कंचा गाचीबौली वन (KGF) एक महत्वपूर्ण शहरी वन है जो तेलंगाना में स्थित हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है।
  - यह दक्कन झाड़ी वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है—जो भारत के सबसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और कम संरक्षित परिदृश्यों में से एक है।
- **जैव विविधता**: लगभग 233 पक्षी प्रजातियाँ, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं; लगभग 72 वृक्ष प्रजातियाँ और 40,000 से अधिक वृक्ष।
  - संरक्षित और अनुसूचित जीव-जंतु जैसे चित्तीदार हिरन, जंगली सूअर, गोह, स्टार कछुए, इंडियन रॉक अजगर, मोर और दुर्लभ ट्री-ट्रंक स्पाइडर (Murricia hyderabadensis)—जो इस प्रजाति का एकमात्र ज्ञात आवास है।

दक्कन के कांटेदार झाड़ी वन

- दक्कन के कांटेदार झाड़ी वन एक उष्णकटिबंधीय शुष्क झाड़ी पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार और उससे सटे क्षेत्रों तथा श्रीलंका के उत्तरी भागों में पाया जाता है।
- ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का सबसे शुष्क और सबसे अधिक क्षतिग्रस्त रूप दर्शाते हैं, जो बहुत कम एवं अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- इन क्षेत्रों में प्रायःअत्यधिक चराई, ईंधन लकड़ी संग्रह और कृषि विस्तार होता है, जिससे वनस्पति विरल हो जाती है।
- **मुख्य राज्य**: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु।

पारिस्थितिकीय महत्त्व

- शुष्क परिस्थितियों में अनुकूलित प्रजातियों और स्थानिक पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है।
- मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य करता है।
- चरवाहा समुदायों के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध कराता है।

Source: TH

SC/ST छात्रवृत्ति का विस्तार

संदर्भ

- केंद्र सरकार आगामी वित्तीय चक्र (वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31) के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़े सुधारों पर विचार कर रही है।

SCs, STs और OBCs के लिए पोस्ट और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ

- सरकार SCs, STs और OBCs के लिए पोस्ट और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ चलाती है, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 60:40 अनुपात में वित्तपोषित होती हैं (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ उन भारतीय छात्रों के लिए हैं जो 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से कक्षा IX और X के लिए होती हैं।
  - हालाँकि, SC छात्रों के लिए कक्षा 1 से X तक भी पात्रता है यदि उनके माता-पिता खतरनाक या अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत हैं।
  - दोनों ही मामलों में वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

- SC प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों में 2020–21 से 2024–25 के बीच 30.63% की गिरावट आई।
- SC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों में इसी अवधि में 4.22% की कमी आई।
- ST छात्रवृत्तियों में भी गिरावट देखी गई: प्री-मैट्रिक में 4.63 लाख और पोस्ट-मैट्रिक में 3.52 लाख की कमी।
- OBCs, EBCs और DNTs के लिए, प्री-मैट्रिक लाभार्थियों की संख्या 2021–22 में 58.62 लाख से घटकर 2023–24 में 20.25 लाख रह गई।

प्रस्तावित विस्तार

- अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियों के लिए आय सीमा बढ़ाकर ₹4.5 लाख करना (वर्तमान में ₹2.5 लाख से कम);
  - सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विमुक्त अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियों के लिए इसी तरह के संशोधनों पर विचार किया जा रहा है;
- छोटे ओबीसी छात्रों (कक्षा 5 से आगे) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का विस्तार करना।
  - वर्तमान में, केवल तभी जब माता-पिता खतरनाक व्यवसायों में हों।
- छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि (उदाहरण के लिए, नई योजनाओं के तहत सालाना ₹60,000 तक)

भारत में SCs और STs से संबंधित संवैधानिक प्रावधान परिभाषा और पहचान

- **अनुच्छेद 341 (SCs):** राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में SC माने जाने वाले जातियों, नस्लों या जनजातियों को सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं, राज्यपाल से परामर्श के पश्चात।
  - संसद इस सूची को कानून द्वारा संशोधित कर सकती है।
- **अनुच्छेद 342 (STs):** राष्ट्रपति जनजातीय समुदायों को अधिसूचित कर सकते हैं और संसद सूची को संशोधित कर सकती है।
- **अनुच्छेद 366(24) और (25):** SCs और STs की परिभाषा अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार प्रदान करता है।

मौलिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 15(4):** राज्य को SCs और STs की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16(4):** सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों (SCs और STs सहित) के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, जो पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते।
- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को दंडनीय बनाता है।
- **अनुच्छेद 25(2)(b):** राज्य को सभी वर्गों और समुदायों के हिंदुओं के लिए सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने की अनुमति देता है।

शैक्षिक और आर्थिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 46:** राज्य को SCs और STs की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 330 और 332:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 335:** सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में SCs और STs के दावों पर प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप विचार करने का निर्देश देता है।

SCs और STs से संबंधित योजनाएँ शिक्षा आधारित योजनाएँ

- **नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप:** SC/ST छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा हेतु; आय सीमा ₹6–8 लाख/वर्ष।
- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप:** SC/ST छात्रों को वैश्विक शैक्षणिक अवसरों के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

रोजगार और कौशल विकास

- **SC/ST नौकरी चाहने वालों की कल्याण योजना:** 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों के माध्यम से लागू; व्यावसायिक मार्गदर्शन, कंप्यूटर प्रशिक्षण और पूर्व-भर्ती कोचिंग प्रदान करती है।
- **SC/OBC छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग:** UPSC, NEET, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने वाली केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** SC/ST युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण; पुनः कौशल विकास और उद्यमिता मॉड्यूल शामिल हैं।

बुनियादी ढाँचा और आवासीय सहायता

- **SCSP-TSP (अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना):** पिछड़े क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय; दिल्ली में UPSC अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास; छात्रों के लिए लैपटॉप और वृत्ति।

Source: TH

भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) को नियंत्रित करने वाले मानदंड

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) से संबंधित नियमों को अधिक सख्त कर दिया है।

OCI के बारे में

- **प्रारंभ**: 2005
- **उद्देश्य**: भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) और उनके जीवनसाथियों को बहु-प्रवेश, बहु-उद्देश्यीय आजीवन वीज़ा प्रदान करना।
- **लाभ**:
  - भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती।
    - हालांकि, भारत के संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति आवश्यक है।
  - विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, गैर-कृषि संपत्ति खरीद सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **पात्रता मानदंड**
  - OCI के रूप में पंजीकरण उन सभी भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के लिए उपलब्ध है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके पश्चात भारत के नागरिक थे, या उस तिथि को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे। एक विदेशी नागरिक जो:
    - उस क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात भारत का हिस्सा बना; या
    - ऐसा नागरिक का पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र है; या
    - उपरोक्त व्यक्तियों का नाबालिग पुत्र है; या
    - ऐसा नाबालिग पुत्र जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या उनमें से एक भारत का नागरिक है—वह OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

प्रतिबंध

- कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या थे, वह OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है।
- विदेशी सैन्य कर्मी, चाहे सेवा में हों या सेवानिवृत्त, OCI प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
- OCI को 'दोहरी नागरिकता' के रूप में गलत समझना उचित नहीं है।

मुख्य अपडेट

- OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति:
  - 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त करता है, या
  - ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट किया गया है, जिसकी सजा 7 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है।
- यह नियम भारत या विदेश में हुए अपराधों पर लागू होता है, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो।
  - ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2009 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं, जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट परिस्थितियों में OCI पंजीकरण रद्द करने की अनुमति देते हैं।

Source: AIR

खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड

संदर्भ

- 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA) भारत में आयोजित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड (IOAA)

- इसकी स्थापना 2006 में की गई थी ताकि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले हाई स्कूल छात्रों को एक वैश्विक मंच प्रदान किया जा सके।
  - प्रथम IOAA 2007 में थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें 21 देशों ने भाग लिया और इस

आयोजन में इसके नियमों और संचालन संरचना को औपचारिक रूप से अपनाया गया।

- ओलंपियाड के वार्षिक संस्करण एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिनमें ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, पोलैंड और रोमानिया शामिल हैं।
  - इस ओलंपियाड का उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देना और युवा खगोलविदों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- **इस वर्ष की प्रमुख विशेषताएं**: 64 देशों के 300 से अधिक हाई स्कूल छात्र इस 10-दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
  - यह दूसरी बार है जब भारत IOAA की मेज़बानी कर रहा है; इससे पहले 2016 में भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था।
  - इस वर्ष की थीम है 'वसुधैव कुटुंबकम'—"एक आकाश के नीचे पूरा विश्व एक परिवार है" की प्राचीन भारतीय अवधारणा।

Source :TH

सभासार

संदर्भ

- केंद्र सरकार स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर त्रिपुरा में 'सभा सार' लॉन्च करेगी, और इसे अन्य राज्यों तक विस्तार देने की योजना है।

सभा सार के बारे में

- **उद्देश्य:** ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही को स्वचालित रूप से तैयार करने वाला एआई-संचालित उपकरण।
- **कार्यप्रणाली:** ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग से ट्रांसक्रिप्शन तैयार करता है।
  - पंचायत अधिकारी e-GramSwaraj लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं।
- **तकनीकी आधार:** यह सरकार के एआई-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफ़ॉर्म 'भाषिणी' पर आधारित है।
- **भाषा समर्थन:** सभी प्रमुख भारतीय भाषाएँ — हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती — और अंग्रेज़ी।

क्या आप जानते हैं?

- **ग्राम सभा:** पंचायती राज प्रणाली की प्राथमिक इकाई, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।
- **बैठकें:** वर्ष में कम से कम चार बार — 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को आयोजित होती हैं।
  - देश में कुल 2,55,397 ग्राम पंचायतें, 6,742 मध्यवर्ती पंचायतें, 665 जिला पंचायतें और 16,189 पारंपरिक स्थानीय निकाय हैं।

Source: IE